फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शिवशम्भू फिलिंग स्टेशन प्रो. हेमन्त कुमार

बनाम

सरकार

प्र.सं. 68/2019 (रै.वि.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी, अभियोजन अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार एवं अनुसंधान अधिकारी, थानाधिकारी थाना सदर चित्तौड़गढ़ मय तलबीदा पत्रावली उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथन में न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन संख्या RJ 27 GA 7101 टैंकर को मय उसमें भरे हुए पेट्रोल–डीजल के वाहन स्वामी को सिपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन यह रहा कि उक्त प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ द्वारा जब्तशुदा वाहन संख्या RJ 27 GA 7101 टैंकर तथा जब्तशुदा पेट्रोल–डीजल के निस्तारण हेतु धारा 379 भा. द. सं. एवं धारा 3/7 व 6ए में प्रकरण प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः उक्त पत्रावली को मूल प्रकरण संख्या 17/2019 (रसद) के साथ संकलित की जावे। अधिवक्ता प्रार्थी को भी उक्त पत्रावली को मूल प्रकरण के साथ संकलित करने में कोई आपत्ति नहीं है। अतः उक्त पत्रावली को मूल प्रकरण संख्या 17/2019 (रसद) के साथ संकलित करने के आदेश दिए जाते हैं। मूल प्रकरण संख्या 17/2019 (रसद) में निर्णय पारित होने पर निर्णय की एक प्रति उक्त पत्रावली में भी संलग्न की जावे। 05/12/19 (चेतन देवड़ा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(Advisor)

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

राज्य सरकार बनाम श्री प्रभूलाल पिता परसराम जाट वगैरा

प्र.सं. 17/2019 (रसद)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.12.2019	पत्रावली पेश हुई। अभियोजन अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने जब्तशुदा वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताते हुए जमानत एवं सुपुर्दगी पर, न्यायालय द्वारा विहित शर्तों पर वाहन संख्या RJ 27 GA 7101 टैंकर को मय उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल के, वाहन स्वामी को सुपुर्द करने हेतु निवेदन किया। अभियोजन अधिकारी एवं पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा टैंकर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश किए लेकिन टैंकर के अन्दर जो पेट्रोल-डीजल भरा हुआ है उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है तथा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन एवं उसमें भरा पेट्रोल-डीजल प्रार्थी को सुपुर्द नहीं किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन RJ 27 GA 7101 टैंकर शिव शंभू फिलिंग स्टेशन प्रो. श्री हेमन्त लड्ढा के नाम है तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ चित्तौड़गढ़ टर्मिनल से जारी टैक्स इनवोईस भी शिव शंभू फिलिंग स्टेशन, आई. ओ. सी. एल. डीलर, पिपरडा, जिला राजसमन्द के नाम ही जारी है। थानाधिकारी थाना सदर, चित्तौड़गढ़ एवं उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी जब्तशुदा वाहन RJ 27 GA 7101 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना तथा अनुसंधान में उक्त टैंकर व उसमें भरा हुआ पेट्रोल-डीजल शिव शंभू फिलिंग स्टेशन प्रो. श्री हेमन्त कुमार लड्ढा का ही होना बताया है। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन किया गया। उपलब्ध रिकार्ड से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि जब्तशुदा वाहन RJ 27 GA 7101 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल का स्वामित्व शिव शंभू फिलिंग स्टेशन प्रो. श्री हेमन्त कुमार लड्ढा का है एवं जब्तशुदा वाहन RJ 27 GA 7101 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया है। अतः जब्तशुदा वाहन RJ 27 GA 7101 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल को 25,00,000/- अक्षरे पच्चीस लाख रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। 31/12/19 (चेतन देवड़ा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31/12/19

पत्रावली सिगह से तलब करने पर पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने 25,00,000/- अक्षरे पच्चीस लाख रुपये का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कराया। चूंकि वाहन संख्या RJ 27 GA 7101 टैंकर एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः उक्त वाहन एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल को वाहन स्वामी शिव शंभू फिलिंग स्टेशन प्रो. श्री हेमन्त कुमार लड्ढा पिता शांतिलाल जी लड्ढा निवासी दयालशाह किला मार्ग राजसमन्द, जिला राजसमन्द को विहित शर्तों पर सुपुर्द करने के आदेश दिए जाते हैं। थानाधिकारी, थाना सदर, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाहन की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो वाहन स्वामी को सुपुर्द कर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रस्तुत जमानतनामा वाहन संख्या RJ 09 GD 3999 ट्रेलर बाबत पेश किया। अतः जिला परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि इस न्यायालय की अनुमति के बिना इसके स्वामित्व हस्तान्तरण या रहन या अन्यथा ट्रान्सफर की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14.01.2020 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31/12/19
(चेतन देवड़ा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.01.13 19:35:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: